

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी

पत्रांक— २३६८ / ३३-१ / दिनांक, झांसी, फरवरी १६, २०२१।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय— Reliance 4G Project for Laying of Optical Fiber Cable (OFC) along with road on NH-25 (Orai-Ait Road) from Km. 250.00 to Km. 178.00 & MDR 27 B (Koneh-Nadigaon Road) from Km. 0 to Km. 21 Total 93.00 Km & 0.9802 ha in Orai Forest Division Jalaun- UP. (FP,UP/OTHERs/40442/2019)

संदर्भ— 1. आपका पत्रांक—1508/11-सी/एफ०पी०/यू०पी०/अदर्स/40442/2019, दिनांक 28.12.2020।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन सा०वा० प्रभाग, उरई का पत्र—1333/33-1, दिनांक 28.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन सा०वा० प्रभाग, उरई ने अपने संदर्भित पत्र—1333/33-1, दिनांक 28.01.2020 द्वारा संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। जो मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— 1. संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में।

भवदीय

(बी०आर० अहिरवार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृ०सं०— २३६८ / समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन सा०वा० वन प्रभाग, उरई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— श्री पंकज खरे, परियोजना प्रबन्धक, रिलाईन्स जीओ इन्फोकॉम लिमिटेड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय से प्रकरण से भिन्न अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्यालय से अभिलेख व पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराने एवं प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बी०आर० अहिरवार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

०/८

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 1333 / 33-1 / उरई, दिनांक जनवरी 28 2020।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

विषय:- Reliance 4G Project for Laying of Optical Fiber Cable (OFC) along with road on NH-25 (Orai-Ait Road) from Km 250.00 to Km 178.00 & MDR 27 B (Konch-Nadigaon Road) from km 0 to km 21 Total 93.00 km & 0.9802 ha in Orai Forest Division District Jalaun- UP, (FP/UP/OTHERS/40442/2019

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1508/11 सी FP/UP/OTHERS/40442/2019 दिनांक 28.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव सं० FP/UP/OTHERS/40442/2019 का मैं आप द्वारा बिन्दु सं० 1 से 5 तक आपत्ति लगायी गयी थी। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न किये गये मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 343/11सी दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाणपत्र वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किये गये मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 343/11सी दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाणपत्र वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित वन भूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु सीडी में कोएम०एल० फाइल अपलोड नहीं की गयी है।	सीडी में कोएम०एल० फाइल अपलोड कर दिया गया है।
3	भूमि स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न है किन्तु एम०डी०आर० 27 बी के किमी० 0.00 से किमी० 21.00 तक अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 25 मार्ग के किमी० 225.713 से 178.00 तक की अनापत्ति प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं है।	भूमि स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न है एम०डी०आर० 27 बी के किमी० 0.00 से किमी० 21.00 तक अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 25 मार्ग के किमी० 225.713 से 178.00 तक की अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है।
4	हार्ड कापी भाग-2 में आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित बताया गया है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि 20 किमी० में आगरा वन प्रभाग में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराया जा चुका है। अतः हार्डकापी भाग-2 में तदनुसार संशोधित कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	हार्डकापी भाग-2 संशोधित कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रकरण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं है अतः ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 13 में अपलोड किया गया प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित रागी डाटा एवं कोएम०एल० फाइल आदि डिलिट करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 13 में अपलोड की गयी कोएम०एल० फाइल डिलिट कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः तीन प्रतियों में संलग्न कर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

बन्दी

वन संरक्षक

15/12/2021

भवदीय,

24

प्रमुख वन अधिकारी,
जालौन वन प्रभाग, उरई।